

राजस्थान-सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर

क्रमांक - स. 3 (7) (2) सेवानिवृत्ति/अभि/14/ 6415-58

दिनांक - 18/06/2020

प्रेषिति -

निदेशक, पेंशन विभाग
राजस्थान जयपुर।

विषय - दिनांक 01.01.2021 से 30.06.2021 तक सेवानिवृत्त हो रहे मंत्रालयिक
कर्मचारियों की सूची जारी करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत अभियोजन विभाग में दिनांक 01.01.2021 से 30.06.2021 की अवधि में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की सूची निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

क्र०स०	नाम कार्मिक मय पिता का नाम	पद	पदस्थापन स्थान	जन्म दिनांक	अधिवार्षिक आयु प्राप्त करने की दिनांक
1	2	3	4	5	6
1.	श्री रावजी दामा पुत्र श्री विटठलदास	स०प्र०अ०	सहायक निदेशक अभियोजन, बांसवाडा	10-2-61	28.02.2021
2.	श्री गिरीराज शर्मा पुत्र श्री मोतीलाल	वरिष्ठ सहायक	सहायक निदेशक अभियोजन, झालावाड	02-03-61	31.03.2021
3.	श्री धूली राम पारगी पुत्र श्री लालजी पारगी	अ०प्र०अ०	सहायक निदेशक अभियोजन, प्रतापगढ	15.3.61	31.03.2021
4.	श्री कमलेश कुमार आत्रेय पुत्र श्री सन्तोष कुमार	प्र०अ०	अभियोजन निदेशालय जयपुर	1.4.61	31.03.2021
5.	श्री मधूसूदन कोली पुत्र श्री चुन्नीलाल	वरिष्ठ सहायक	सहायक निदेशक अभियोजन, अजमेर	17-4-61	30.04.2021
6.	श्री भंवरसिंह सोलंकी पुत्र श्री खुमानसिंह	अ०प्र०अ०	सहायक निदेशक अभियोजन, कोटा	28-4-61	30.04.2021
7.	श्री प्रकाश चंद पुत्र श्री बाल कृष्ण	स०प्र०अ०	सहायक निदेशक अभियोजन, झालावाड	10-5-61	31.05.2021
8.	श्री सीताराम पुत्र श्री डूंगजी	प्र०अ०	सहायक निदेशक अभियोजन, अजमेर	1.6.61	31.05.2021
9.	श्री उमेश चौरसिया पुत्र श्री धुलीलाल	स०प्र०अ०	सहायक निदेशक अभियोजन, कोटा	01-6-61	31.05.2021
10.	श्री विनोद कुमार माथुर पुत्र श्री मुकन राज माथुर	स०प्र०अ०	सहायक निदेशक अभियोजन, नागौर	19.6.61	30.06.2021
11.	श्री मनोहरसिंह भायल पुत्र श्री भगवानसिंह	अ०प्र०अ०	सहायक निदेशक अभियोजन, जैसलमेर	7-6-61	30.06.2021

—sd—
(पी.सी.बेरवाल)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित को प्रेषित है -

- समस्त उप निदेशक अभियोजन/सहायक निदेशक अभियोजन राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सूची का सत्यापन कर उनसे संबंधित कार्मिक के यदि सेवानिवृत्त आदेश जारी नहीं हुये हैं या ऐसा कोई कार्मिक जिसका नाम उक्त सूची में नहीं हो तो कार्मिक के विरुद्ध नियम 16 एवं 17 तथा 19 सी.सी.ए. के अन्तर्गत वर्तमान में कोई विभागीय जांच, आपराधिक प्रकरण, राजकीय बकाया होने/नहीं होने का प्रमाण पत्र, राजकीय आवास आवंटित होने/ न होने का प्रमाण पत्र सहित सेवा पुस्तिका के साथ सेवानिवृत्ति की दिनांक से 06 माह पूर्व प्रकरण आवश्यक रूप से निदेशालय को भिजवाये जावे। स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति चाहने वाले कार्मिकों के प्रकरणों में भी उक्त वर्णित तथ्यों सहित कार्मिक का स्वे. सेवानिवृत्ति लेने का कारण, तथा कार्यालयध्यक्ष की उस पर विस्तृत टिप्पणी सहित निर्धारित अवधि में इस निदेशालय को प्रेषित करें, उक्त सूचनाओं के अभाव में अधूरे प्रकरण भिजवाने अथवा देरी से भिजवाने वाले कार्यालयध्यक्षों के खिलाफ नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जावेगी।
- रक्षित पत्रावली।

निदेशक अभियोजन
राजस्थान, जयपुर